<u>न्यायालयः- विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र), झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश - **सुनीता मीणा,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सैशन प्रकरण संख्या - 38/2021

(सी.आई.एस.नं.-38/2021)

राजस्थान राज्य

(अभियोगी)

बनाम

1- रघुवीर पुत्र बाबूलाल, उम्र 25 वर्ष निवासी अकलेरा हाल रीछवा व

2- भगवान सिंह पुत्र जगदीश, उम्र 20 वर्ष, निवासी अकलेरा,

पुलिस थाना अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.) **– अभियुक्तगण**

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भा.दं.सं. एवं

धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट

उपस्थितः-

1- श्री महेश पाटीदार, विशिष्ट लोक अभियोजक, राज.राज्य की ओर से।

2- श्री रामबाबू माहेश्वरी व श्री अरूण कुमार ढोटिया, अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय **दिनांकः- 10.04.2026**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 25.09.2020 को परिवादी पानाचन्द पुत्र भंवरलाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी पचोला, थाना अकलेरा हाल खेड़ी पचोला, थाना घाटोली ने उपस्थित थाना होकर एक प्रार्थना पत्र (प्रदर्श पी.-2), इस आशय का पेश किया कि दिनांक 24.09.2020 को गांव से अकलेरा रेडिमेट कपड़े लेने के लिये आया था कि समय दिन में करीब 3.00 बजे वह रामद्वारा मैन मार्केट में स्थित रिया गारमेन्टस् अकलेरा पर रेडिमेट कपड़े देख रहा था कि आपस में कपड़े के भाव को लेकर बोला-चाली हो गयी। इस पर मुलजिम रघुवीर पुत्र बाबूलाल प्रजापति निवासी अकलेरा, भगवान सिंह पुत्र जगदीश निवासी रीछवा व दिपेश पुत्र सुरेश निवासी अकलेरा थाना अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.) व 4-5 अन्य साथियों ने उसके साथ मारपीट करना चालू कर दिया, कहा कि इस नीच जाति मीनटे को जान से मार दो, कहते हुए उसे जाति सूचक गालियां दी एवं मुलजिम रघुवीर ने उसके पास जो धारिया था, उससे सिर पर दो चोट मारी, जिस पर 5 टांके आये है तथा दीपेश मुलजिम के पास चाकू था, जिसने चाकू से वार किया, उसने बचाया तो अंगूठा में लग गयी। अन्य मुलजिमान हाथों-लातों से मारपीट कर घायल कर दिया, खूनाखून हो गया। हत्या

करने का प्रयास किया। उस पर मुलजिमान ने जान लेवा हमला किया है। घटना के समय गवाहान मन्नालाल मीणा निवासी काजलिया, जगन्नाथ मीणा निवासी गोरियाखेड़ा आदि मौजूद थे, इत्यादि।

2- उक्त आशय के तथ्यों के प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस थाना अकलेरा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-356/2020, अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भा.दं.सं. एवं धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 15.02.2021 को अभियुक्त रघुवीर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भा.दं.सं. व धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट एवं अभियुक्त भगवान सिंह के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भा.दं.सं. के अपराध में आरोप पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3- बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 10.12.2021 को अभियुक्त रघुवीर को धारा 341, 323/34 भा.दं.सं. एवं धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट एवं अभियुक्त भगवान सिंह को धारा 341, 323/34 भा.दं.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4- दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष समर्थन में गवाह पी.ड.-1 मदनलाल, पी.ड.-2 पानाचन्द, पी.ड.-3 देवेन्द्र सिंह, पी.ड.-4 सुनील गोयल, पी.ड.-5 दिनेश कुमार अग्रवाल, पी.ड.-6 पवन कुमार मंगल, पी.ड.-7 दिनेश कुमार बैरागी, पी.ड.-8 राजकुमार, पी.ड.-9 डॉ. सत्येन्द्र सिंह, पी.ड.-10 इन्द्रमल मीणा व पी.ड.-11 जगन्नाथ के बयान लेखबद्ध करवाये गये व दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.-1, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-2, चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-3, परिवादी का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.-4, अभियुक्त रघुवीर का नोटिस अन्तर्गत धारा 41 दं.प्र.सं. प्रदर्श पी.-5, अभियुक्त रघुवीर फर्द चैक लिस्ट प्रदर्श पी.-6, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम रघुवीर प्रदर्श पी.-7, पुलिस बयान सुनील गोयल प्रदर्श पी.-8, पुलिस बयान दिनेश कुमार अग्रवाल प्रदर्श पी.-9, पुलिस बयान पवन कुमार मंगल प्रदर्श पी.-10, पुलिस बयान दिनेश कुमार बैरागी प्रदर्श पी.-11, पुलिस बयान राजकुमार प्रदर्श पी.-12, चोट प्रतिवेदन मजरूब पानाचन्द प्रदर्श पी.-13 व पुलिस बयान जगन्नाथ प्रदर्श पी.-14 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया गया।

5- साक्ष्य अभियोजन की समाप्ति पर अभियुक्तगण का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. (351 बी.एन.एस.) किया गया, तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों को गलत होना बताते हुए, गवाहान द्वारा झूठ बोलना व स्वयं का निर्दोष होना बताते हुए, साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर करने पर साक्ष्य सफाई बन्द की गयी।

6- बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गयी।

7- दौराने बहस विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्व अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्व घोषित किये जाने का निवेदन किया।

8- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गयी है। प्रकरण में परिवादी द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों एवं उसके न्यायालय में हुए बयानों में गम्भीर विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। प्रकरण के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण पी.ड.-4 सुनील गोयल, पी.ड.-5 दिनेश कुमार अग्रवाल, पी.ड.-6 पवन कुमार मंगल, पी.ड.-7 दिनेश कुमार बैरागी, पी.ड.-8 राजकुमार व पी.ड.-11 सभी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का लेश मात्र समर्थन नहीं किया है। गवाह पी.ड.-1 मदनलाल व पी.ड.-10 इन्द्रमल मीणा नक्शे मौके के साक्षीगण है। गवाह पी.ड.-9 डॉ. सत्येन्द्र सिंह ने मजरूब के चोटें कठोर धरातल पर गिरने पड़ने से आना बताया है तथा गवाह पी.ड.-3 देवेन्द्र सिंह प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसने स्वयं द्वारा किये गये अनुसंधान के संबंध में औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

9- उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैः-

''क्या अभियुक्त रघुवीर ने दिनांक 24.09.2020 को शाम के करीब 3.00 बजे या इसके लगभग मौजा अकलेरा स्थित रिया गारमेन्ट की दुकान के पास अन्य सहअभियुक्त भगवान सिंह के साथ मिलकर परिवादी पानाचन्द के साथ मारपीट करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी पानाचन्द को जाते हुए

को रोककर उसका सदोष अवरोध कारित करते हुए, उसे इच्छित दिशा में जाने से निवारित किया, जिस दिशा में उसे जाने का विधिक अधिकार था तथा उसके साथ इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि उसे उपहति कारित होगी, स्वेच्छया कुन्दालय हथियार से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की तथा अभियुक्त रघुवीर ने परिवादी पानाचन्द के जाति से मीणा होकर अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना जानते हुए, उसे जनता के लिये दृष्टिगोचर सार्वजनिक स्थान पर जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर अपमानित व प्रकोपित किया तथा उसके साथ उक्त अपराध कारित किये ?''

10- उक्त अवधारणीय बिन्दु की पुष्टि हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहान को परीक्षित करवाया गया, जिसमें से गवाह पी.ड.-1 मदनलाल नक्शा मौका का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 2-3 साल पहले की बात है। पुलिस गांव में आयी और नक्शा मौका बनाया, जो प्रदर्श पी.-1 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि पुलिस ने उसके हस्ताक्षर गांव में कराये थे। फिर कहा जहां लड़ाई हुई वहां कराये थे।

11- गवाह पी.ड.-2 पानाचन्द स्वयं परिवादी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 3 साल पहले शाम को करीब 4.00 बजे की बात है। वह उस समय रामद्वारा में कपडे की दुकान पर था। वह कपडे लेने गया था। वह काउन्टर पर बैठ गया तो उस दुकान के मालिक रघुवीर ने उसे धक्का दिया और कहा कि ये कोई बैठने की जगह है क्या। फिर उसने कहा तमीज से बोल। फिर उन दोनों के कहा-सुनी हुयी। रघुवीर के पास एक नौकर और था तो वो दो हो गये और वह अकेला रह गया। उन तीनों के बीच धक्का-मुक्की चली। पास में एक दुकान और थी जिसका मालिक वहां पर आ गया। फिर ज्यादा लडाई होने पर रघुवीर ने सरिये की उसके सिर पर मारी, जिससे वह गिर गया। फिर पुलिस वहां पर आ गयी और उसे अस्पताल लायी और उसके बाद थाने पर ले गयी जहां उसने रिपोर्ट करायी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-2 है। चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-3 है, जिन दोनों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल मुआयना कराया। पुलिस वाले मौके पर आये और घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-1 बनाया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका जाति प्रमाण पत्र लिया, जो प्रदर्श पी.-4 है। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। अधिवक्ता

अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि रघुवीर की दुकान से उसने पहले भी कपडे खरीदे थे। आगे स्वीकार किया है कि वे दोनों बाथमबुथा हो गये थे। उसे पुलिस वाले गाडी में अस्पताल व थाने लेकर गये थे। आगे स्वीकार किया है कि उसने रिपोर्ट घटना वाले दिन ही करवा दी थी, उसके बाद उसे किसी ने सलाह दी थी तो वह दूसरे दिन फिर डिप्टी साहब के पास चला गया। आगे स्वीकार किया है कि दूसरे दिन उसने टाईप वाले से एस.डी.एम. कोर्ट में रिपोर्ट टाईप करवाकर दी थी। इस तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की है कि उसने घटना वाले दिन जो रिपोर्ट दर्ज करवायी उसमें उसने लिखवाया हो कि वे दोनों बाथमबुथा हुए और नीचे गिरने से उसके चोट लगी हो।

12- गवाह पी.ड.-3 देवेन्द्र सिंह अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 25.09.2021 को वृत्ताधिकारी अकलेरा के पद पर कार्यरत रहते हुए, पुलिस थाना अकलेरा के प्रकरण सं.-356/20, अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भा.दं.सं. व धारा 3 एस.सी./एस.टी.एक्ट की पत्रावली उसे अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा फरियादी पानाचन्द व गवाहान मन्नालाल, जगन्नाथ मीणा, सुनील कुमार गोयल, दिनेश कुमार अग्रवाल, पवन कुमार, दिनेश कुमार बैरागी, राजकुमार मीणा के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये थे। घटनास्थल का नक्शा मौका परिवादी पानाचन्द की निशानदेही से प्रदर्श पी.-1 बनाया, जिस पर सी से डी फरियादी, ए से बी, ई से एफ गवाहान व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। परिवादी पानाचन्द का जाति प्रमाण पत्र लेकर शामिल पत्रावली किया, जो प्रदर्श पी.-4 है। मजरूब पानाचन्द का मेडीकल करवाकर शामिल पत्रावली किया। बाद अनुसंधान मुलजिम रघुवीर और भगवान सिंह के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भा.दं.सं. व इसके अतिरिक्त अभियुक्त रघुवीर के विरूद्ध धारा 3-2(Va) एस.सी./एस.टी.एक्ट प्रमाणित पाये जाने पर उसे नोटिस अन्तर्गत धारा 41 दं.प्र.सं. दिया, जो प्रदर्श पी.-5 है। नोटिस की पालना नहीं करने पर मुलजिम रघुवीर को जरिये फर्द गिरफ्तार किया, फर्द चैक लिस्ट प्रदर्श पी.-6 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.-7 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम व ई से एफ, जी से एच गवाहान के हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान चार्जशीट माननीय न्यायालय में थानाधिकारी अकलेरा मनोज कुमार ने पेश की। अपराध के संबंध में दी गई तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 है, जिस पर ए से बी परिवादी व सी से डी थाना इन्चार्ज अब्दुल रसीद के हस्ताक्षर व ई से एफ उनके द्वारा की गई पुलिस कार्यवाही का पृष्ठांकन अंकित है। घटना की चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-3 है,

जिस पर ए से बी परिवादी व सी से डी थाना इन्चार्ज अब्दुल रसीद के हस्ताक्षर है। मनोज कुमार व अब्दुल रसीद उसके अधीनस्थ होने के कारण वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कोई विरोधाभासी कथन नहीं किये है।

13- गवाह पी.ड.-4 सुनील गोयल व पी.ड.-5 दिनेश कुमार अग्रवाल प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण हैं, जिन्होंने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 24.09.2020 को उनके सामने ना किसी को लडते-झगते देखा। पुलिस ने उनके बयान नहीं लिये। ये मुलजिम रघुवीर को भी नहीं जानते हैं। उक्त दोनों गवाहान **पक्षद्रोही** घोषित हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

14- गवाह पी.ड.-6 पवन कुमार मंगल, पी.ड.-7 दिनेश कुमार बैरागी व पी.ड.-8 रामकुमार प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण हैं, जिन्होंने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 24.09.2020 को उनके सामने ना किसी को लड़ते-झगड़ते देखा। पुलिस ने उनके बयान नहीं लिये। वे मुलजिम रघुवीर को भी नहीं जानते हैं। उक्त तीनों ही गवाहान **पक्षद्रोही** घोषित हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

15- गवाह पी.ड.-9 डॉ. सत्येन्द्र सिंह चिकित्सक साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 24.09.2020 को सी.एच.सी. अकलेरा में एम.ओ. अकलेरा पद पर कार्यरत रहते हुए, पुलिस थाना अकलेरा के प्रतिवेदन पर उसने मजरूब पानाचंद पुत्र भंवरलाल मीणा, निवासी पचोला, थाना अकलेरा के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया, जिसमें निम्न चोटें पायी गयी - चोट सं.-1 कुचला हुआ घाव 2*1/4*1/4 सेमी ललाट पर दांयी ओर। चोट सं.-2 कुचला घाव 1*1/4*1/4 सेमी ललाट पर बांयी ओर। चोट सं.-3 कुचला घाव 1*1/4*1/4 सेमी बांयी आंख के नीचे व चोट सं.-4 खरोच 1*1 दांयी हाथ के अंगुठे पर। उक्त सभी चोटें कुन्द हथियार से कारित साधारण प्रकृति की थी। जिनकी अवधि 6 घण्टे भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-13 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर और सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि सभी चोटें साधारण प्रकृति की है तथा सभी चोटें कठोर धरातल पर गिर जाने से संभव हैं।

16- गवाह पी.ड.-10 इन्द्रमल मीणा नक्शा मौका का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 25.09.2020 को अनुसंधान अधिकारी देवेन्द्र सिंह आर. पी.एस., वृत अकलेरा द्वारा घटना का मौका नक्शा उसके सामने प्रदर्श पी.-1

बनाया, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि उसके नक्शा मोके पर हस्ताक्षर मैन बाजार में करवाये थे।

17- गवाह पी.ड.-11 जगन्नाथ प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है और ना ही उसने कोई घटना देखी है। उक्त गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

18- अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के संबंध में परिवादी पी.ड.-2 पुनमचन्द के बयानों का अवलोकन किया जाये तो परिवादी ने स्वयं द्वारा दी गयी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-2 की ताईद करते हुए अपने बयानों में कहा है कि यह कपड़े लेने दुकान पर गया तो दुकान के काउन्टर पर बैठ गया तो दुकान के मालिक रघुवीर ने इसे धक्का दिया और कहा कि यह कोई बैठने की जगह है। फिर इसने कहा कि तमीज से बोल, जिस पर इनके कहा-सुनी हुई और अभियुक्त रघुवीर के पास एक नौकर था, वे दो हो गये और इन तीनों के बीच धक्का-मुक्की चली। फिर लड़ाई ज्यादा होने पर अभियुक्त रघुवीर ने सरिये से इसके सिर पर मारी, जिससे यह गिर गया तथा प्रतिपरीक्षा में कोई विरोधाभासी कथन नहीं करता है तथा परिवादी की तहरीरी रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण रघुवीर व भगवान सिंह द्वारा मारपीट किया जाना बताया गया है तथा अनुसंधान अधिकारी पी.ड.-3 देवेन्द्र सिंह के बयानों के अनुसार भी बाद अनुसंधान अभियुक्तगण रघुवीर व भगवान सिंह की अपराध में संलिप्तता प्रमाणित पायी गयी। गवाह पी.ड.-4 सुनील गोयल, पी.ड.-5 दिनेश कुमार अग्रवाल, पी.ड.-6 पवन कुमार मंगल, पी.ड.-7 दिनेश कुमार बैरागी, पी.ड.-8 राजकुमार व पी.ड.-11 जगन्नाथ सभी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करते है। गवाह पी.ड.-9 डॉ. सत्येन्द्र सिंह ने दिनांक 24.09.2020 को मजरूब पानाचन्द के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया जाना बताया है तथा चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-13 की ताईद करते हुए मजरूब के मजरूब के ललाट पर दांयी ओर व ललाट पर बांयी ओर व बांयी आंख के नीचे कुचला हुआ घाव मौजूद होना व दांये हाथ के अगूंठे पर खरोंच होना बताया है तथा चोटों की अवधि भी 6 घण्टे के भीतर की बतायी है।

19- जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क है कि अभियुक्तगण व परिवादी के अतिरिक्त अन्य कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभियोजन की ओर से ऐसा पेश नहीं किया गया है, जो कि परिवादी के बयानों की पुष्टि करे, तो उक्त तर्क के

संबंध में इस न्यायालय के विनम्र मत में परिवादी पी.ड.-2 पानाचन्द ने अपने बयानों में पूर्णतः खरा उतरा है तथा चिकित्सक साक्ष्य से भी परिवादी के बयानों की सम्पुष्टि होती है तथा प्रतिपरीक्षा में परिवादी से पूछे गये प्रश्नों व दिये गये सुझावों के अवलोकन से भी घटना की दिनांक को परिवादी की अभियुक्त रघुवीर की दुकान पर मौजूदगी स्पष्ट हो जाती है। अतः ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन अपनी साक्ष्य से यह सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण रघुवीर व भगवान सिंह द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी पानाचन्द के साथ स्वेच्छया कुन्दालय हथियार से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की गयी, जिसके लिये अभियुक्तगण धारा 323 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत् दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य है।

20- जहां तक अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध धारा 341 भा.दं.सं. का संबंध है। परिवादी के बयानों में ऐसा कोई कथन नहीं आया है कि घटना के समय परिवादी किसी विशिष्ठ दिशा की ओर अग्रसर हो और अभियुक्तगण द्वारा उसे उस दिशा में जाने से सदोष अवरोधित किया हो। अतः अभियुक्तगण धारा 341 भा.दं.सं. के तहत् सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

21- जहां तक अभियुक्त रघुवीर पर आरोपित अपराध धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट का संबंध है, तो परिवादी पी.ड.-2 पानाचन्द ने अपने बयानों में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त रघुवीर द्वारा उसे जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया हो और चूंकि सहअभियुक्त भगवान सिंह की अभियुक्त रघुवीर के साथ संलिप्तता साबित है तथा अभियुक्त भगवान सिंह पर धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट से संबंधित कोई आरोप नहीं है तथा पत्रावली व अनुसंधान अधिकारी के बयानों के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त भगवान सिंह के अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के कारण उसके विरूद्ध एस.सी./एस.टी.एक्ट से संबंधित आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है। अतः जबकि अभियोजन साक्ष्य से यह दर्शित है कि अभियुक्त रघुवीर व भगवान द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी के साथ मारपीट की गयी। ऐसी दशा में यह माने जाने का कोई आधार नहीं है कि अभियुक्त रघुवीर ने परिवादी पानाचन्द के अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के कारण उसके साथ मारपीट की हो। विशेष कर जबकि सहअभियुक्त भगवान सिंह स्वयं अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त रघुवीर धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./

एस.टी.एक्ट के तहत् सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

परिणामतः अभियुक्तगण 1- रघुवीर पुत्र बाबूलाल, उम्र 25 वर्ष निवासी अकलेरा हाल रीछवा व 2- भगवान सिंह पुत्र जगदीश, उम्र 20 वर्ष, निवासी अकलेरा, पुलिस थाना अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.) को धारा 341 भा.दं.सं. एवं धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(2) परंतु अभियुक्तगण 1- रघुवीर व 2- भगवान सिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 323 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के जमानत मुचलके बाबत हाजिरी निरस्त किए जाते हैं।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई-

दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है, पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्तगण गरीब काश्तकार व्यक्ति है, जो वर्ष 2021 से प्रकरण की अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अभियुक्तगण को अन्य अपराध के आरोपों से सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है। अतः अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रुख अपनाया जावे।

(2) इसके विपरीत विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए अभियुक्तगण को उचित दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

(3) उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का पुनः अवलोकन किया। अभियुक्तगण गरीब काश्तकार व्यक्ति होकर वर्ष 2021 अर्थात् करीब 5 वर्षों से अधिक अवधि की इस प्रकरण की अन्वीक्षा की वेदना भुगत चुके हैं। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है, क्योंकि उनकी कोई पूर्व दोषसिद्धि जाहिर नहीं की गयी है। अभियुक्तगण को अन्य अपराध के आरोपों से दोषमुक्त

किया गया है। प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व अभियुक्तगण की स्थिति को देखते हुए उन्हें अपराधी परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

अतः अभियुक्तगण 1- रघुवीर पुत्र बाबूलाल, उम्र 25 वर्ष निवासी अकलेरा हाल रीछवा व 2- भगवान सिंह पुत्र जगदीश, उम्र 20 वर्ष, निवासी अकलेरा, पुलिस थाना अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा 323 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषी पाए जाने पर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की **धारा 4** के तहत **10,000/-रुपये** का स्वयं का **मुचलका** एवं इसी राशि की **एक जमानत**, **एक वर्ष** की अवधि के लिए शांति व सद्व्यवहार बनाए रखने, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं जब भी न्यायालय द्वारा तलब किया जावे, उपस्थित आने की शर्त के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तथा साथ ही अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की **धारा 5** के तहत प्रत्येक अभियुक्त **2,000-2,000/-रुपये** कुल **4,000/-रूपये** बतौर अभियोजन व्यय के रूप में न्यायालय में जमा करावें, तो उन्हें इस प्रकरण में सदाचारिता की परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे, अन्यथा दण्डादेश सुनाया जावेगा। साथ ही अभियुक्तगण परिवीक्षा अधिनियम की **धारा 12** के तहत् उपरोक्त दोषसिद्धि के आधार पर पूर्व में या भविष्य में किसी निर्योग्यता/निर्हरता से ग्रसित नहीं होगें।

2- प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए मजरूब पुनमचन्द को पीड़ित प्रतिकर योजना के अधीन प्रतिकर दिलवाये जाने हेतु अनुशंषा किया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक **10.04.2026** को पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(कमलेश टेलर)
स्टेनो ग्रेड़-प्रथम

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।